



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231402
CG-DL-E-26112021-231402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 597]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं.पीआर-295/2014-डीडी/313/2014-डीसी/550/2017 और पीआर-33/2016-डीडी/97/2016-डीसी/1028/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960), सी 909, महावीर ट्रिंकेट्स, कंजुर मार्ग रेलवे स्टेशन के सामने, कंजुरमार्ग पश्चिम, मुंबई 400 078 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (10) और भाग 2 की मद (4) (प्रथम मामले में) तथा दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (10) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) (दूसरे मामले में) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप तारीख 18 अगस्त, 2020 और 27 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठकों में पारित आदेशों के द्वारा उपर्युक्त सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) के नाम को उपरोक्त मामलों में से प्रत्येक में 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का

जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अतिरिक्त अनुशासन समिति ने तारीख 27 मई, 2021 को आयोजित बैठक में पारित आदेश के द्वारा यह भी आदेश दिया है कि यदि प्रत्यर्थी सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) अनुबंधित समय, अर्थात् 30 दिन की अवधि के भीतर जुर्माना जमा कराने में असफल रहता है तो उसके नाम को 06 (छह) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पूर्वोक्त मामलों में दंड एक साथ चलेगा। चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित जुर्माना जमा कराने में असफल रहा है, अतः, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष और अतिरिक्त 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./461/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-295/2014-DD/313/2014-DC/550/2017 and PR-33/2016-DD/97/2016-DC/1028/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960), C 909, Mahavir Trinkets, Opp Kanjur Marg Railway Station, Kanjurmarg West, MUMBAI 400 078**, guilty of Professional/Other Misconduct falling within the meaning of Item (10) of Part I and Item (4) of Part II of the Second Schedule (in the first case) and Item (10) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule (in the second case), to the aforesaid Act and consequently vide orders passed in meetings dated 18th August, 2020 and 27th May, 2021, ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)** from the Register of Members for a period of 05(Five) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only in each of the above cases. The Disciplinary Committee vide order passed in meeting dated 27th May, 2021, further ordered that if the Respondent, **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)**, fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 30 days, his name should be removed from the Register of Members for a further period of 06(six) months. The Committee also clarified that the punishment shall run concurrently in both the aforesaid cases. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)**, shall stand removed for a consolidated period of 05(Five) years plus additional 06(six) months from the Register of Members with effect from 26th November, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./461/2021-22]